

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अ धि सू च ना ॥

पटना-15, दिनांक 04 फरवरी, 2020

संख्या : 1/सी0-03/2012(खण्ड)-सा0प्र0-1774/भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान -लेवल-12-रु.78,800-2,09,200/-) में प्रोन्नति दी जाती है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री आलोक रंजन घोष(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
2	श्री महेन्द्र कुमार(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, सुपौल)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
3	श्री हिमांशु शर्मा(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
4	श्री त्यागराजन एस0एम0(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
5	श्री शीर्षत कपिल अशोक(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, मधुबनी)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
6	श्री राहुल कुमार(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, पूर्णिया)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
7	श्री मिथिलेश मिश्र (2011)	कारा महानिरीक्षक, गृह विभाग, बिहार, पटना	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
8	श्री पंकज दीक्षित(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम(अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
9	श्री देओर नीलेश रामचन्द्र(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया (अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से

20

10	श्री नवीन कुमार(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
11	श्री उदयन मिश्रा(2011)	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
12	श्री रवि शंकर चौधरी(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, अरवल)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से

2. श्री आलोक रंजन घोष, श्री महेन्द्र कुमार, श्री हिमांशु शर्मा, श्री त्यागराजन एस0एम0, श्री शीर्षत कपिल अशोक, श्री राहुल कुमार, श्री पंकज दीक्षित एवं श्री देओर नीलेश रामचन्द्र को उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से इस शर्त के साथ अपर सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है कि आगामी सत्र में स्थान और अनुमति मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण(अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III, जो अपर सचिव सचिव स्तर की प्रोन्नति की पात्रता की नियत शर्तों में से एक है) को अवश्य पूरा कर लेंगे।

3. क्रमांक-1 की तालिका के पदाधिकारी-श्री उदयन मिश्रा को अपर सचिव के रूप में पदनामित भी किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28/
4.2.2020
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : /सी0-03/2012(खण्ड)-सा0 प्र0-1774/पटना-15, दिनांक: 04 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. जिन पदाधिकारियों को सशर्त प्रोन्नति दी गयी है, वे सभी प्रशिक्षण पूर्णता का प्रमाण संबंधित प्राधिकारों को समय पर उपलब्ध करा देंगे।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

28/
4.2.2020
सरकार के अवर सचिव।